सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 08, मंगलवार, *शाके 1946*-जुलाई 30, *2024* *Sravana 08, Tuesday, Saka 1946- July 30, 2024*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 29, 2024

संख्या एफ.15(45)परावि/विधि/नगरपालिका गठन/22/ईफाईल-00812/8732557:-स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1966 दिनांक 07.7.2022 के द्वारा नवगठित नगरपालिका बहादुरपुर (किशनगढ बास),जिला अलवरका गठन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप उक्त नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र को विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1125 दिनांक 25.8.2022 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया गया।

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 213 दिनांक 19.6.2023 के द्वारा उक्त नगरपालिका गठन से आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायत सैंथली (पंचायत समिति उमरैण) एवं ग्राम पंचायत किथूर (पंचायत समिति किशनगढबास),जिला अलवरका पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित ग्राम पंचायत सैंथली में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सैंथली (पंचायत समिति उमरैण) को एवं पुनर्गठित ग्राम पंचायत किथूर में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, किथूर (पंचायत समिति किशनगढबास), जिला अलवर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,

रवि जैन,

शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।